"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2015—माघ 10, शक 1936

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजकुमार ठाकुर पिता श्री तिजुराम ठाकुर, जाति गोड़, निवासी-आयुर्वेदिक कालेज परिसर, रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक, राजस्व दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजकुमार गोड़ पिता तिजुराम गोड़ दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेन्स में मेरा नाम राजकुमार ठाकुर दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम राजकुमार ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजकुमार ठाकुर पिता श्री तिजुराम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| राजकुमार गोड़<br>पिता-श्री तिजुराम गोड़<br>निवासी-शासकीय आयुर्वेदिक कालेज कालोनी,<br>Q. No. I-Type-24 रायपुर (छ.ग.) | राजकुमार ठाकुर<br>पिता-श्री तिजुराम ठाकुर<br>निवासी-शासकीय आयुर्वेदिक कालेज कालोनी,<br>Q. No. I-Type-24 रायपुर (छ.ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमेन्द्र कुमार नायकर आत्मज श्रीनिवासन नायकर, उम्र 32 वर्ष, निवासी-ग्राम कोटनी, पो. नगपुरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे हेमन कुमार के नाम से जाना, पहचाना जाता था तथा यही नाम मेरे अंकसूची में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम हेमेन्द्र कुमार नायकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हेमेन्द्र कुमार नायकर आ. श्रीनिवासन नायकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| हेमन कुमार<br>आत्मज-श्रीनिवासन नायकर<br>निवासी-ग्राम कोटनी, पो. नगपुरा, तहसील व<br>जिला दुर्ग (छ.ग.) | हेमेन्द्र कुमार नायकर<br>आत्मज-श्रीनिवासन नायकर<br>निवासी-ग्राम कोटनी, पो. नगपुरा, तहसील व<br>जिला दुर्ग (छ.ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जयवीर सिंह ठाकुर आत्मज बरन लाल ठाकुर, उम्र 32 वर्ष, निवासी-ग्राम बेलौदी पो. भेड़सर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे जन्तु लाल ठाकुर के नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जयवीर सिंह ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जयवीर सिंह ठाकुर आ. बरन लाल ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| जन्तु लाल ठाकुर<br>आत्मज-बरन लाल ठाकुर<br>निवासी-ग्राम बेलौदी, पो. भेड़सर, तहसील व<br>जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन-491001 | जयवीर सिंह ठाकुर<br>आत्मज-बरन लाल ठाकुर<br>निवासी-ग्राम बेलौदी, पो. भेड़सर, तहसील व<br>जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन-491001 |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, त्रिशाल साह (TRISHAL SAH) आत्मज श्री उमाशंकर साह, निवासी-म. नं. 123, सड़क 5, फेस-6, मैत्रीनगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त अंकसूची, प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावजों में मेरा नाम त्रिशाल शाह (TRISHAL SHAH) दर्ज है जिसमें गलत वर्तनी (Spelling) है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम त्रिशाल साह (TRISHAL SAH) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे त्रिशाल साह आत्मज श्री उमाशंकर साह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| त्रिशाल शाह (TRISHAL SHAH)<br>आत्मज-श्री उमाशंकर साह<br>निवासी-म. नं. 123, सड़क 5, फेस-6, मैत्रीनगर रिसाली<br>भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | त्रिशाल साह (TRISHAL SAH)<br>आत्मज-श्री उमाशंकर साह<br>निवासी-म. नं. 123, सड़क 5, फेस-6, मैत्रीनगर रिसाली<br>भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शुभम कुमार साह (SHUBHAM KUMAR SAH) आत्मज श्री उमाशंकर साह, निवासी-म. नं. 123, सड़क 5, फेस-6, मैत्रीनगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त अंकसूची, प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावजों में मेरा नाम शुभम कुमार शाह (SHUBHAM KUMAR SHAH) दर्ज है जिसमें गलत वर्तनी (Spelling) है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शुभम कुमार साह (SHUBHAM KUMAR SAH) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शुभम कुमार साह आत्मज श्री उमाशंकर साह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| शुभम कुमार शाह (SHUBHAM KUMAR SHAH)<br>आत्मज-श्री उमाशंकर साह<br>निवासी-म. नं. 123, सड़क 5, फेस-6, मैत्रीनगर रिसाली<br>भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | शुभम कुमार साह (SHUBHAM KUMAR SAH)<br>आत्मज-श्री उमाशंकर साह<br>निवासी-म. नं. 123, सड़क 5, फेस-6, मैत्रीनगर रिसाली<br>भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनोज कुमार चन्द्राकर आत्मज स्व. शंकर लाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी-सड़क-15/बी, फ्लैट नं. 103, श्रीराम टावर, प्रगति नगर, रिसाली भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मनोज कुमार दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मनोज कुमार चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मनोज कुमार चन्द्राकर आ. स्व. शंकर लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| मनोज कुमार<br>आत्मज-स्व. शंकर लाल<br>निवासी-सड़क नं. 15/बी, फ्लैट नं. 103, श्रीराम टावर,<br>प्रगति नगर, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | मनोज कुमार चन्द्राकर<br>आत्मज-स्व. शंकर लाल<br>निवासी-सड़क नं. 15/बी, फ्लैट नं. 103, श्रीराम टावर,<br>प्रगति नगर, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. पुष्पा साहू पिता स्व. माखन लाल साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी-वार्ड नम्बर 25, अप्सरा टॉकिज के पीछे, संतरा बाड़ी दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल, बैंक एवं दीगर अभिलेखों में मेरा नाम कु. पुष्पा साहू आ. स्व. माखन लाल साहू दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कु. प्रियांशी साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कु. प्रियांशी साहू पिता स्व. माखन लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| कु. पुष्पा साहू<br>पिता-स्व. माखन लाल साहू<br>निवासी-अप्सरा टॉकिज के पीछे, वार्ड नं. 25, संतरा बाड़ी दुर्ग<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | कु. प्रियांशी साहू<br>पिता-स्व. माखन लाल साहू<br>निवासी-अप्सरा टॉकिज के पीछे, वार्ड नं. 25, संतरा बाड़ी दुर्ग<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तृप्त केशरवानी आत्मज श्री द्वारिका केशरवानी, उम्र 23 वर्ष, निवासी-ग्राम पोंड़ी, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम असावधानी वश तृप्ति केशरवानी दर्ज हो गया है जबकि मेरा नाम तृप्त केशरवानी है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम तृप्त केशरवानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे तृप्त केशरवानी आ. द्वारिका केशरवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| तृप्ति केशरवानी<br>आत्मज-द्वारिका केशरवानी<br>निवासी-ग्राम पोंड़ी, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) | तृप्त केशरवानी<br>आत्मज-द्वारिका केशरवानी<br>निवासी-ग्राम पोंड़ी, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) |

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 16 जनवरी 2015

क्रमांक/लायसेंस/507.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजनांदगांव वनमंडल के उड़नदस्ता प्रभारी श्री बाबूलाल ठाकुर, वनक्षेत्रपाल को पी.ओ.आर. बुक क्रमांक 10126 पेज 01 से 25 तक तीन पर्त में कार्टिंग चालान नं.-184/23 दिनांक 19-11-2014 को जारी कर प्रदाय किया गया था. श्री बाबूलाल ठाकुर, वनक्षेत्रपाल द्वारा दिनांक 02-12-2014 को अवगत कराया गया कि उक्त पी.ओ.आर. बुक राजनांदगांव से सुरगी, कुम्हालोरी मार्ग में दिनांक 01-12-2014 को प्रात: लगभग 8.00 बजे मोटर सायकिल से कहीं गिर जाने के कारण गुम गया है. जिसकी लिखित सूचना उनके द्वारा थाना प्रभारी, ग्रामीण थाना, राजनांदगांव को दिनांक 02-12-2014 को दी गई है. गुमशुदा उक्त पी.ओ.आर. बुक की काफी खोजबीन करने के उपरांत भी पी.ओ.आर. बुक नहीं मिला.

अत: श्री बाबूलाल ठाकुर द्वारा दिनांक 02-12-2014 को दी गई सूचना के आधार पर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :—

आदेश

आदेश क्र./लायसेंस/24 राजनांदगांव, दिनांक 16-1-15

पी.ओ.आर. बुक क्रमांक-10126 पेज 01 से 25 तक तीन पर्त में कोरा को वनमंडल के अभिलेख से अपलेखित करते हुये उसकी कीमत रुपये 50/- श्री बाबूलाल ठाकुर, वनक्षेत्रपाल से वसूल किया जावे एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप श्री बाबूलाल ठाकुर वनक्षेत्रपाल को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त पी.ओ.आर. बुक मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. किसी व्यक्ति द्वारा उसे अवैधानिक रूप से रखे हुए या दुरुपयोग करते हुए पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

**पी. अरूण प्रसाद,**
वनमंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.